7

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ

7.1 परिचय

सम्भावित दुर्घटना से बचने के लिये किये जाने वाले उपायों को सुरक्षा कहते हैं। इस पाठ के आप समझ सकेंगे कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए। इस अध्याय का उद्देश्य केवल यह बताना ही नहीं है कि निर्माण कार्य-स्थल पर दुर्घटनाएँ न होने देने के लिये क्या किया जाए और क्या न किया जाए, अपितु कार्य पर सर्वोच्च अधिकारी से लेकर कामगारों तक में ऐसी आदत पैदा करना है ताकि उनके द्वारा कोई ऐसी चूक न हो। ताकि किसी का जीवन खतरे में न पड़े और निर्माण कार्य में बाधा न हो।

7.2 उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप:

- कार्यस्थल पर सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में विचार कर सकेंगे; तथा
- कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

7.3 सुरक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा

प्रथम नियुक्ति पर हर एक कर्मचारी को सुरक्षा सुपरवाइज़र द्वारा सुरक्षा की मूल भावना से भली भाँति परिचित कराया जाएगा। इस परिचय कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें विस्तार से बताई जाएँगी:

1. सुरक्षा आचरणों का पालन किन्हें करना चाहिये;

2. सुरक्षा सुपरवाइज़र की भूमिका एवं दायित्व;
3. कार्य के दौरान सुरक्षा के सामान्य तरीके;
4. सुरक्षा चेतावनी चिन्ह व उनका पालन;
5. निजी रक्षात्मक उपकरण तथा उनका उपयोग;
6. मशीनरी की सुरक्षा पट्टियाँ, जाली, गार्ड आदि का महत्त्व; तथा
7. अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र।

7.4 सुरक्षा आचरणों का पालन किन्हें करना चाहिये

किसी भी कार्य-स्थल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों, सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, को सुरक्षा नियमों की न केवल पूर्ण जानकारी होनी चाहिये बल्कि निष्ठा से उनका पालन करना चाहिये। जानकारी होते हुए सावधानी न बरतना, दुर्घटना का कारण बनती है, और दुर्घटना, व्यक्ति का स्तर नहीं देखती है।

7.5 सुरक्षा सुपरवाइज़र की भूमिका एवं दायित्व

सुरक्षा सुपरवाइज़र को कार्य होते समय भी तथा कार्य बन्द होने पर भी, अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक सजग होकर देखना चाहिये कि कोई असावधानी तो नहीं बरत रहा है। आवश्यकता होने पर स्वयं पहल कर असावधान कर्मचारी को सजग करते रहना चाहिये तथा उसकी अज्ञानता दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिये। उसका प्रमुख दायित्व है कि प्रथम नियुक्ति पर वह कामगार को निर्देशों सहित बताए कि वह क्या करे और किन-किन निजी रक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करे।

उसका यह भी दायित्व है कि:-

- सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिये जानने योग्य बातों का कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण दे;
- हो रहे कार्य के सन्दर्भ में आवश्यक निजी रक्षात्मक उपकरणों की आपूर्ति उपलब्ध कराए;
- अप्रशिक्षित अथवा अनधिकृत, उपकरण न चलाए।

7.6 कार्य के दौरान सुरक्षा के सामान्य तरीके

- किसी भी सुरक्षा उपकरण को न तो हटाए, न ही उसे नाकाम (निष्क्रिय) करें;
- चालू मशीनरी की सुरक्षा पट्टियाँ, जाली, गार्ड आदि हमेशा लगी रहने दें;

- आवश्यकता के समय अपना निजी रक्षात्मक उपकरण अवश्य उपयोग करे;
- सुरक्षा चेतावनी चिन्हों का पालन अवश्य करे,
- कार्य-स्थल पर नशीली वस्तुओं अथवा प्रतिबन्धित या गैर-कानूनी दवाओं का इस्तेमाल या नशे में काम कभी न करें।
- कार्य-क्षेत्र में हथियार अथवा विस्फ़ोटक वस्तुएँ न लाएँ,
- कार्य-क्षेत्र में नशा या धूम्रपान न करें, न ही लड़ें/झगड़ें/उपद्रव करें,
- काम करने के लिए ऐसा कुछ न करें जो खतरनाक हो। यदि कार्य ख़तरनाक मालूम हो, तो अपने सेफ़्टी सुपरवाइज़र या फोरमैन को बताएं, जो आपको उस काम को करने का अधिक सुरक्षित तरीका समझाएँगे।
- सावधानीपूर्वक कार्य के तरीके में शार्ट-कट न अपनाएँ, रैम्प, जीनों, आने-जाने के रास्तों, सीढ़ी का ही प्रयोग करें,
- किसी चेतावनी, अथवा आपदा-चिन्हों/अवरोधकों को न तो हटाएं/ नष्ट करें न उनसे छेड़-छाड़ करें।
- आपके उपयोग के लिये लगाई गई अथवा किसी अन्य कामगार द्वारा उपयोग की जा रही, किसी भी प्रकार की, दुर्घटना-नियंत्रक प्रणाली, या व्यवस्था को न छेड़ें।
- स्थल पर काम करते समय हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट तथा सेफ्टी-जूते पहनें (देखें चित्र 7.1)।
- सभी सावधानियों को बताने के लिये तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें असावधानी के कारण हुए समस्त नुकसान व हर्जाने की भरपाई की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी:
  - चमकदार विशेष पेन्ट से आवश्यक चेतावनी-बोर्ड लिखें;
  - लाल झंडे, लाल बत्तियाँ;
  - रात्रि में जलती-बुझती रहने वाली लाइट्स;
  - ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा निर्देशित अन्य सावधानियों की व्यवस्था)
  - ट्रेन्चों के चारों ओर अवरोधक।
- छत के स्लैब डालते समय जो खाली जगह, शाफ्ट्स, पाइपों, लिफ्ट आदि के लिये छोड़े गए हों, स्लैब डालने का काम समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र उन्हें मज़बूत बेरिकेड से घेर देना चाहिए। इसी प्रकार बालकनी, व जीने/सीढ़ियों के बाहरी किनारे पर बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए।
- काम करने के लिये बनाए गए मचान, गैंग-वे, पाड़, एवं ढूले पर्याप्त मज़बूती से बंधे तथा सुविधाजनक चौड़ाई के होने चाहिये कि वह लचके नहीं, बल्कि पूरी तरह समतल रहें,

- बिल्डिंग के चारों ओर, कम से कम 6 मीटर चौड़ाई के, तथा अन्दर की खुली जगहों पर पूरी खुली जगह में, मज़बूत जाल बांध देना चाहिये ताकि अचानक कोई सामान या व्यक्ति गिर ना जाए।
- चलने की किसी भी जगह मलबा या बे-तरतीब सामान पड़ा नहीं रहना चाहिये।
- चलने की किसी भी जगह पानी का बहाव न हो। यदि यह सम्भव न हो सके तो वहाँ मिट्टी जमा न रखें अन्यथा अचानक कीचड़ से कोई गिर सकता है।
- सामान उठाने/चढ़ाने के लिये काम में आने वाली रस्सी इतनी मज़बूत होनी चाहिये कि भार को आसानी से सहन कर ले।
- बच्चों को कार्यक्षेत्र में आने नहीं देना चाहिये।
- कामगारों की सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे सभी कार्यों के लिये, जो ज़मीन से सुरक्षापूर्वक नहीं किये जा सकते हैं उनके लिए उचित, अस्थाई व मज़बूत मचान/चबूतरे/पाड़, बनाए जाने चाहिये।

7.7 सुरक्षा चेतावनी चिन्ह व उनका पालन

- विशेष परिस्थितियों में दुर्घटना से बचाव के लिये खतरे के चिन्ह लगे होते हैं जैसे- चेतावनी बोर्ड, विशेष सीमा से आगे बढ़ने पर खतरे से सावधान करने के लिये लाल झन्डा या लाइट आदि।

7.8 निजी रक्षात्मक उपकरण तथा उनका उपयोग

- निजी रक्षात्मक उपकरणों में सर्वाधिक उपयोग किये जाने वाले उपकरण हैं हेल्मेट, सेफ़्टी बेल्ट, तथा सेफ़्टी जूते।

हेलमेट एवं ग्लव्स | सेफ़्टीबेल्ट | सेफ़्टी जूते

चित्र 7.1: निजी रक्षात्मक उपकरण

7.9 व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण

शरीर के विभिन्न भागों, जैसे- सिर के लिए हेल्मेट, आँखों के लिये सुरक्षा-चश्मा, पैरों के लिये विशेष जूते, कानों के लिए इयर-प्लग, फेफड़ों के लिए माउथ मास्क, अचानक गिरने से बचने

के लिए रस्सी, विशेष चमकदार व परावर्ती रंग की जैकेट, सुरक्षा उपकरणों व प्रथम उपचार की सुगम उपलब्धता के लिये अलमारियाँ आदि।

- इनके अतिरिक्त, बिजली अथा गैस वेल्डिंग करते समय आँखों पर लगाने वाला विशेष चश्मा या शील्ड, मोटी रबर के दस्ताने, व ऐप्रेन। इनके इस्तेमाल से आर्क की तेज़ रोशनी से तथा चिनगारियों से बचाव होता है।
- निजी रक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण, निर्माण-स्थल पर होने वाली गतिविधियों में होने वाले सम्भावित खतरों का अध्ययन दीर्घ अनुभवों के आधार पर किया गया है। फिर भी भविष्य में नई-नई गतिविधियों एवं उपकरणों के उपयोग होने पर आवश्यक संशोधन व समावेश किया जाता रहेगा।

7.10 मशीनरी की सुरक्षा पट्टियाँ, जाली, गार्ड आदि का महत्व

- चालू मशीनरी की सुरक्षा पट्टियाँ, जाली, गार्ड आदि हमेशा लगी रहने दें इसमें लापरवाही से शरीर के किसी अंग को नुकसान हो सकता है या कोई वस्तु गिरने से मशीन में भी टूट-फूट हो सकती है।

7.11 अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र

- ज्वलनशील वस्तु के आसपास किसी प्रकार की चिंगारी पैदा न होने दें।
- किसी ही होज़ या डोरी लगे हुए सामान को होज़ या डोरी से न खींचे।
- होज़ या डोरी की जांच, प्रत्येक शिफ़्ट के शुरू होने पर अवश्य करें।

7.12 बिजली के कार्य

- चालू विद्युत में कार्य के समय अकेला कामगार काम न करे बल्कि दो कामगार एक साथ काम करें और उनमें से एक को आपदा से बचाव कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए।
- चालू विद्युत में कार्य के समय बिजली का वोल्टेज, मीटर से अवश्य जांच करते रहें।
- चालू विद्युत में कार्य पर्याप्त रोशनी में ही करें।
- बरसात में खुली जगह में चालू विद्युत में कार्य न करें।
- चालू विद्युत में कार्य के समय कपड़ों या औज़ारों को गीला न होने दें। स्वयं को तथा औज़ारों को सूखे कपड़े से पोंछते रहें।

7.14 आपने क्या सीखा

- निर्माण स्थलों पर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं।
- शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाली दिक्कतें कौन-कौन सी हैं?
- दुर्घटना को कैसे रोकें।

7.15 पाठांत प्रश्न

1. हेल्मेट, विशेष जूते, विशेष चश्मा पहने रहने से क्या-क्या बचाव होता है?
2. रात्रि में खुले स्थल पर बुनियाद लगाने की ट्रेन्च पर क्या सुरक्षा प्रबन्ध होने चाहिए?
3. मशीनों में सुरक्षा जालियाँ क्यों लगाई जाती हैं?
4. छतों व बालकनी के किनारों पर क्या सुरक्षा होनी चाहिये और क्यों?